



Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, निदेशालय

सेवा में

1. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
2. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/3474

दिनांक चण्डीगढ़ 15.02.2018

विषय:- रबी तथा खरीफ 2018-19 की फसलों के लिए परिवहन व श्रम एवं ढुलाई के कार्यो हेतु टैण्डर आमंत्रित करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन केस सी0डब्ल्यू0पी0 2324 ऑफ 2018 के आदेश दिनांक 12.02.2018 के अनुपालना में विभाग के पत्र क्रमांक एस0ओ0एम0पी0-2018/3273, दिनांक 12.02.2018 द्वारा परिवहन व श्रम एवं ढुलाई के टैण्डर के नियम व शर्तो में बदलाव किया गया था। जिसके लिए टैण्डर की तारीख को बढ़ाया जाना है, जिस बारे आगामी कार्यवाही की जा रही है।

Sd -

संयुक्त निदेशक

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/3475

दिनांक चण्डीगढ़ 15.02.2018

उपरोक्त की एक प्रति प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी, हैफेड, हरियाणा एग्री ईण्ड. तथा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd,

संयुक्त निदेशक

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/ 3476 दिनांक चण्डीगढ़ 15.02.2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव(खाद्य) एवं निदेशक (खाद्य) के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. पी.एस/अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खाद्य),
2. पी.एस./निदेशक (खाद्य)।

Sd -

संयुक्त निदेशक

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।